

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 18 मार्च, 2017

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3256/ सुश्री उदिता सिंह, भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. सुश्री उदिता सिंह को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3257/श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, खगड़िया सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अमित कुमार पाण्डेय को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3258/श्री शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, वायसी, पूर्णियों के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री शशांक शुभंकर को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3259/श्री रोशन कुशवाहा, भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, भागलपुर सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री रोशन कुशवाहा को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

बिधा

1/3

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3260 /श्री आदित्य प्रकाश,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, नवगछिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री आदित्य प्रकाश को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियों भी प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3261/श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा,,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुबनी सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियों भी प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0- 3262 /श्री यशपाल मीना,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री यशपाल मीना को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियों भी प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0- 3263 /श्री श्याम बिहारी मीना,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।


2. श्री श्याम बिहारी मीना को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियों भी प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0- 3264/श्री सौरभ जोरवाल,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सौरभ जोरवाल को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों

के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


18/03/2017
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-1/पी0-1001/2016 -सा0प्र0- 3264/पटना-15, दिनांक: 18 मार्च, 2017

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित सभी विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/ अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/03/2017
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

3/3